Prof. Khushbu Kumari
Guest Teacher
Dept. of Political Science
V.S.J. College, Rajnagar, Madhubani (L.N.M.U.)

Class - B.A - 2 (Subsidiary)

Ajanta
Page No.
Date

Topic - लोकसदन का अध्यक्ष (Speaker)

इंग्लैण्ड में लोकसदन के अध्यक्ष को 'स्पीकर' कहा जाता है। प्रारम्भ में अध्यक्ष द्वारा लोकसदन के विचार सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता था, इसी से इसका नाम 'स्पीकर' हो गया। ब्रिटेन में स्पीकर पद का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह 1376 से चला आ रहा है और थॉमस हंगरफोर्ड ब्रिटेन के प्रथम स्पीकर बने थे।

अध्यक्ष का चुनाव :- लोकसदन के अध्यक्ष पद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता है और इसी कारण उसका चुनाव प्रायः सर्वसम्मति से होता है। एक बार अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुकने के बाद यह व्यक्ति जब चाहे तब तक पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इस सम्बन्ध में यह भी परम्परा है कि महानिर्वाचन के अवसर पर अध्यक्ष को उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध ही लोक सदन का सदस्य निर्वाचित किया जाता है।

अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य :-

लोकसदन के अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित हैं :-

(1) लोकसदन का सभापतित्व — अध्यक्ष लोकसदन के अधिवेशनों का सभापतित्व करता है और सभापति के

रूप में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि सदन के विचारार्थ कौन-से प्रस्ताव रखे जायें, संशोधनों को भी वही छाँटता और स्वीकार करता है।

(2) वाद-विवाद का संचालन :— सदन के वाद-विवाद का संचालन अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है क्योंकि वर्तमान समय में लोकसभा का कार्यभार बहुत बढ़ गया है और सदन के पास समय कम रहता है, इसलिए अध्यक्ष की यह शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो गयी है।

(3) वाद-विवाद को सीमित करना — सदन के समय का अधिकाधिक श्रेष्ठ उपयोग करने की दृष्टि से अध्यक्ष को वाद-विवाद सीमित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है।

(4) सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाये रखना — सदन के सभापति के रूप में उसका एक महत्वपूर्ण कार्य सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाये रखना है। अशान्त सदन में यदि अध्यक्ष खड़ा हो जाय तो पूर्ण शान्ति हो जाती है, क्योंकि परम्परा के अनुसार जब अध्यक्ष खड़ा हो तो कोई अन्य सदस्य खड़ा नहीं रह सकता।

5. **नियमों की व्याख्या** — अध्यक्ष वाद-विवाद तथा सुव्यवस्था के नियमों की व्याख्या करता तथा उन्हें लागू करता है। यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना होता है। अध्यक्ष ही कार्य स्थगन प्रस्तावों को नियमित या अनियमित घोषित करता है।

6. **वित्त विधेयक को प्रमाणीकृत करने का अधिकार** — 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार लोकसदन के अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि यदि किसी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाय कि वह वित्त विधेयक है अथवा नहीं, तो इस विषय पर लोकसदन के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होता है।

7. **निर्णायक मत देने का अधिकार** — अध्यक्ष को सामान्य परिस्थिति में अपना मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन यदि किसी विषय पर सदन के पक्ष और विपक्ष के बराबर मत हो जायें अर्थात टाई पर जाय, तो स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।

8. **समितियों के बारे में शक्तियां** — कौन-सा विधेयक किस समिति के पास भेजा जाय इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। इसके अतिरिक्त वह चयन समिति द्वारा तैयार की गयी सूची में से

Page No. ______
Date ______

स्थायी समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है।

(9) सदन के अधिशासन के कार्य — अध्यक्ष लोकसदन के अधिशासक के रूप में कार्य करता है। जैसे- अधिवेशन काल में लोकसदन में कोई स्थान रिक्त होने पर अध्यक्ष चुनाव की आज्ञप्ति निकालता है। किसी सदस्य द्वारा अपराध किये जाने पर वह उसकी गिरफ्तारी और गवाहों के लिए सपादेश निकालता है।

(10) सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा —

लोकसदन के सदस्यों को जो भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनकी रक्षा लोकसदन के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि कोई मन्त्री सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की उपेक्षा करे या एक सदस्य दूसरे सदस्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करे तो इन सभी परिस्थितियों में अध्यक्ष सदन के अधिकारों की रक्षा करता है।

(11) सदन का मुख्य प्रवक्ता — अध्यक्ष लोकसदन का मान्य प्रवक्ता होता है और सदन तथा सम्राट के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करता है।

Khushbu kumari